संख्या 3270/जी0एस0(शिक्षा)/A3-139/2020

प्रेषक,

स्वाति एस0 भदौरिया,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड देहरादून दिनांक 02 मई, 2025 ~~अप्रैल, 2025~~

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 231121095142, दिनांक 18.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें **श्री गुरूनानक देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नानकमत्ता साहिब, (अल्पसंख्यक संस्थान), ऊधम सिंह नगर को बी0ए0, एम0ए0, बी0बी0ए0 एवं बी0एड0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव** संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पूर्व मे संस्थान की बी0ए0, एम0ए0 एवं बी0एड0 पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता पर निर्णय लेते हुए इस सचिवालय के पत्र संख्या 2726, दिनांक 08.01.2025 द्वारा सम्बद्धता स्वीकृति आदेश निर्गत किया गया था जबकि बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में नियामक संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 का अनुमोदन न होने के दृष्टिगत निर्णय नहीं लिया गया था। वर्तमान मे नियामक संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अपना पत्र दिनांक 19.12.2024 निर्गत करते हुए सत्र 2024–25 हेतु छात्रहित में अनुमोदन लिये जाने के सम्बन्ध में छूट प्रदान की गई है।

अतः उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01	श्री गुरूनानक देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नानकमत्ता साहिब (अल्पसंख्यक संस्थान) ऊधम सिंह नगर।	बी0बी0ए0	40 सीट	2024–25

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह

में उपलब्ध करायें।

- विश्वविद्यालय, संस्थान से यू0जी0सी0 विनियम एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्राभूति, शैक्षिक सत्र 2024–25 के अन्त तक बंधक रखवना सुनिश्चित करेगा, यदि विश्वविद्यालय द्वारा इस उपबन्ध का अनुपालन किये बिना अग्रेत्तर सत्र का प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है तो किसी भी परिस्थिति में शैक्षिक सत्र 2025–26 के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीया,

Digitally signed by
Swati Srivastava Bhadauria
Date: 02-05-2025 12:00:11

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 3270(1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-139/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 02-05-2025
12:02:28

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के अनुसचिव।

File No. RB-EDUC02/113/2023-RAJBHAWAN (Computer No. 389)
Generated from eOffice by MANJEET SINGH, RO-MS, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 02/05/2025 01:01 pm